न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 81/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/00197

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री राहुलसिंह पुत्र श्री ओंकारसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बी–101, वीर दुर्गादास नगर, पाली तहसील पाली जिला पाली		1. श्रीमती तीजोदेवी पत्नी श्री रमेश कुमार निवासी देवली पाबूजी 2. श्री पुष्पा देवी पत्नी श्री मांगीलाल निवासी देवली पाबूजी 3. श्रीमती गेरी देवी पत्नी श्री वजाराम निवासी वणदार 4. श्री मेहला देवी पत्नी श्री नरेश कुमार निवासी देवली पाबूजी तमाम जातिगण चौधरी तहसील रानी जिला पाली 5. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत भादरलाउ पंचायत समिति रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

अधिवक्ता प्रार्थी अनु.

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे

–: निर्णय :–

दिनांक : 14-12-2022

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भादरलाउ की मिसल संख्या 45 दिनांक 29.08.1972 की पालना में जारी पट्टा संख्या 39 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को बहस हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने एवं सख्त हिदायत के बाद भी वक्त बहस उपस्थित नही होने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी में उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा जैर निगरानी पट्टा संख्या 39 जारी किया। उक्त विक्रय विलेख आमीन पुत्र इब्राहीम जाति नागौरी मुसलमान के पक्ष में जारी किया है, जिसके पत्नी व पुत्र का निधन हो चुका है तथा कोई भी विधिक वारिशान उपस्थित नहीं है। आमीन ने उक्त भूखण्ड का बेचाण अप्रार्थीगण 1 से 4 को किया है, जबकि उक्त विवादित विक्रय विलेख जो तथाकथित भुखण्ड संख्या 22 का जारी किया जाना बताया है, उक्त भूखण्ड संख्या 22 पर पूर्व से जयन्तिलाल पुत्र सुमेरमल जाति जैन निवासी सोमेसर का विधि अनुरूप सन 1983 में पटटा जारी किया जा चुका है। जयन्तिलाल के पटटे की मिसल संख्या 62/1982–1983 तारीख दायर 17.01.1983 पटटा संख्या 12 नियमानुसार जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा किसी आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जाने के पश्चात उसी ग्राम पंचायत को उक्त भूमि

अति. जिला कलक्टर, पाली

का दुसरा पटटा जारी करने का अधिकार नहीं रहता है। इससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी विक्रय विलेख खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीगण जिस विक्रय विलेख को निरस्त करवाना चाहते है, उक्त विक्रय विलेख सन 1972 में जारी किया गया है तथा जयन्तिलाल के नाम जारी विक्रय विलेख संख्या 12 दिनांक 17.01.1983 सन 1983 में जारी किया गया है। जैर निगरानी विक्रय विलेख संख्या 39 प्लॉट संख्या 21 का जारी किया गया है तथा जयन्तिलाल के नाम जारी विक्रय विलेख संख्या प्लॉट संख्या 22 का जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष मिथ्या एवं झूठे तथ्यों के साथ प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थी मात्र अपनी दुश्मनी के कारण जैर निगरानी विक्रय विलेख को निरस्त करवाना चाहता है। जैर निगरानी विक्रय विलेख भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है तथा वहां पर उन्होंने दुकानों का निर्माण करवाया है। जैर निगरानी विक्रय विलेख ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है, उसमें किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं है तथा न ही प्रार्थी को जैर निगरानी विक्रय विलेख निरस्त करवाने का अधिकार है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारीज फरमावें।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा जारी पट्टा संख्या 39 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी याचिका में यह वर्णित किया गया है कि उक्त विक्रय विलेख आमीन पुत्र इब्राहीम जाति नागौरी मुसलमान के पक्ष में जारी किया है। आमीन ने उक्त भूखण्ड का बेचाण अप्रार्थीगण 1 से 4 को किया है। जबकि उक्त विवादित विक्रय विलेख जो तथाकथित भुखण्ड संख्या 22 का जारी किया जाना बताया है, उक्त भूखण्ड संख्या 22 पर पूर्व से जयन्तिलाल पुत्र सुमेरमल जाति जैन निवासी सोमेसर का विधि अनुरूप सन 1983 में पटटा जारी किया जा चुका है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा किसी आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जाने के पश्चात उसी ग्राम पंचायत को उक्त भूमि का दुसरा पटटा जारी करने का अधिकार नहीं रहता है, लेकिन ग्राम पंचायत के रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अमीन के नाम जारी विक्रय विलेख 39 प्लॉट संख्या 21 का जारी है तथा सन 1972 में जारी है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के संलग्न जयन्तिलाल के नाम जारी पट्टा संख्या 12 प्लॉट संख्या 22 का है तथा जो सन 1983 में जारी है, इससे यह स्पष्ट है कि अमीन के नाम जारी पट्टा पुराना है न की जयन्तिलाल के नाम जारी विक्रय विलेख। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं हुए है। उक्त आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 14-12-2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली